



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाइट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

सीआईएन : U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :: edprocurement@gmail.com एवं rmsc@nic.in

क्रमांक : F.02(332)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-22/2021/ 483

Dated:- 02.02.2022

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(332)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-22/2021/1380 Dated:- 04.08.2021 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स M/s Saitech Medicare Pvt. Ltd, VILL. Kheri, Trilokpur Road, Kala Amb (HP) 173030 द्वारा अन्य आइटमों के साथ-साथ आइटम कोड 90 (Ceftazidime Injection IP 250 mg), 91 (Ceftazidime Injection IP 500 mg) & 475 (Cefpodoxime Dispersible Tablets 50 mg) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 26.10.2021 एवं वित्तीय बिड दिनांक 04.03.2022 को खोली गई ।

आइटम कोड 90 (Ceftazidime Injection IP 250 mg), 91 (Ceftazidime Injection IP 500 mg) & 475 (Cefpodoxime Dispersible Tablets 50 mg) की दरों के अनुमोदन उपरान्त फर्म को Letter of Acceptance (LOA) क्रमांक 833 दिनांक 24.03.2022 को जारी किया गया। फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं करने पर इसे शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 16.06.2022 व 2397 दिनांक 03.08.2022 लिखा गया लेकिन फर्म ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

फर्म द्वारा एग्रीमेंट एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं करना निविदा शर्तों के विरुद्ध है। निविदा शर्त सं. 19(1) में उल्लेखित प्रावधान - "If the successful Bidder fails to execute the agreement and/or to deposit the required performance security within the time specified or withdraws his Bid after the intimation of the acceptance of his Bid has been sent to him or owing to any other reasons, he is unable to undertake the contract, his contract will be cancelled and the bid security deposited by him along with his bid, shall stand forfeited by the Bid Inviting Authority and he will also be liable for all damages sustained by the Bid Inviting Authority apart from blacklisting/ debarring the Supplier. (As per guidelines for blacklisting/ debarring at annexure IX)". एवं डिबारेग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 में उल्लेखित प्रावधान "The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited. If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 year". के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 13.12.2022 में रखा गया। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित होने बाबत लिखा गया लेकिन फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

अतः बिड शर्तों का उल्लंघन मानते हुए एवं अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के क्रम में M/s Saitech Medicare Pvt. Ltd., को औषधि आइटम कोड 90 (Ceftazidime Injection IP



250 mg), 91 (Ceftazidime Injection IP 500 mg) & 475 (Cefpodoxime Dispersible Tablets 50 mg) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार करने तथा राशि रु 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रु दो लाख छत्तीस हजार मात्र) की पैनल्टी आरोपित किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही आइटमों के लिये उच्च दर अनुमोदन पर अन्तर राशि की वसूली उक्त फर्म से करने के सम्बन्ध में प्रकरण में निर्णय लिया जाकर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

44
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(332)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-22/2021/183 Dated:- 02.02.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
7. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
8. OIC, Supply, आरएमएससीएल।
9. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स M/s Saitech Medicare Pvt. Ltd. द्वारा द्वारा बिड सिव्योरिटी राशि के लिये Bid Security Declaration (on Rs.50/- stamp) लगाया गया था। फर्म की निगम में जमा राशि या कोई भुगतान बकाया है से राशि रु. 236000(GST@18% सहित) भी होल्ड करें। फर्म द्वारा निर्धारित तिथि तक राशि रु. 236000/- निगम में जमा नहीं कराने की स्थिति में अलग से यू.ओ. नोट द्वारा अवगत करवा दिया जावेगा।
10. संयुक्त निदेशक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स M/s Saitech Medicare Pvt. Ltd, VILL. Kheri, Trilokpur Road, Kala Amb (HP) 173030 को भेजकर लेख है कि आरोपित की गयी पैनल्टी राशि रु. 236000/- (GST@18% सहित) (अक्षरे राशि रु दो लाख छत्तीस हजार मात्र) निगम में दिनांक 09.02.2023 तक जमा (डीडी/चालान/RTGS) कराकर कार्यालय को अविलंब सूचित करें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल